कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : निविदा/2025-26/ 668 दिनांक : 30/7/2025

खुली बोली (दर संविदा) आमन्त्रण निविदा संख्या 668

(वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत टोंक न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के कार्यालय उपयोग हेतु नवीन लेजर प्रिन्टर्स (मय Installation)) क्रयार्थ)

वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के कार्यालय उपयोग हेतु लेजरजेट प्रिन्टर्स क्रय किये जाने हेतु दोहरी लिफाफा पद्धति में निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ विक्रेताओं/उप-विक्रेताओं से निम्नानुसार मोहरबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती है :-

क्र. सं.	नाम सामग्री	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम दिनांक	निविदा प्रस्तुत करने की दिनॉक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1.	लेजरजेट प्रिन्टर्स	02.55 लाख	5100/-	200/-	18-08-2025 12.00 PM	18-08-2025 02.00 PM	18-08-2025 04.30 PM

1. निविदादाता द्वारा अपनी दरें संलग्न निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जावेगी। बोली फार्म कार्यालय से राशि 200/- नगद भुगतान कर अथवा विभागीय वेबसाईट **https://tonk.dcourts.gov.in/** अथवा वेबसाईट **www.sppp.rajasthan.gov.in** पर **Online Download** कर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन ऐसे आवेदन के साथ रूपये 200/- मात्र का बोली फार्म शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक के नामे **(Payable at Tonk)** तकनीकी बिड लिफाफे में संलग्न करना होगा।
2. बोलीदाताओं को अपना प्रस्ताव बोली सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार समुचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद किया जाना आवश्यक है। निविदा द्विपदीय लिफाफा प्रक्रिया में होगी। तकनीकि लिफाफा में निविदा शर्तें, 2 प्रतिशत (5100.00 रुपये) बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी. व अन्य दस्तावेज रखे जावेगे। द्वितीय लिफाफा वित्तीय बिड का होगा जिसमें वित्तीय प्रपत्र ही रखा जावेगा। दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रखे जावेगें। लिफाफे पर **"टोंक न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के कार्यालय उपयोग हेतु नवीन लेजर प्रिन्टर्स (मय Installation)) क्रयार्थ "** हेतु निविदा लिखा जाना होगा।
3. आर.टी.पी.पी. अधिनियम, 2012 व आर.टी.पी.पी., 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा समय-समय पर जारी विभागीय दिशा-निर्देश के समस्त सम्यक् प्रावधान इस बोली आमंत्रण पर लागू होंगे। इस डॉक्यूमेन्ट व उक्त अधिनियम/नियम के प्रावधानों में विरोधाभास होने पर अधिनियम/नियम के प्रावधान प्रभावी माने जावेंगे।
4. निविदा लिफाफा दिनांक 18.08.2025 को समय दोपहर 02.00 बजे तक कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, जिसे उसी दिन समय सायं 04.30 बजे अध्यक्ष, क्रय समिति के समक्ष निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जावेगा। सर्वप्रथम तकनीकि बिड खोली जावेगी सफल निविदादाता का ही वित्तीय बिड का लिफाफा खोला जावेगा।

05. उपापन संस्था न्यूनतम दर वाली बिड को स्वीकार किए जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगी तथा समस्त मामलों में उपापन कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य रहेगा।

अध्यक्ष
(क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक

क्रमांक : निविदा/2025-26/ 669-675 दिनांक : 30.7.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. नोटिस बोर्ड चस्पा जिला कलेक्टर कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/नगर परिषद्/जिला परिषद, टोंक।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, टोंक को विभागीय वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/tonk एवं एसपीपीपी पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
4. कार्यालय हाजा नोटिस बोर्ड चस्पा।

अध्यक्ष
(क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : निविदा/2025-26/ 668 दिनांक : 30/7/2025

निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड)
(निविदा सूचना संख्या ...668......... दिनांक ...30/7/25)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत टोंक न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के कार्यालय उपयोग हेतु नवीन लेजर प्रिन्टर्स (मय Installation)) क्रयार्थ दर संविदा

(निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम दिनांक 18.08.2025) 12.00 पी.एम. तक	(निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक 18.08.2025) 2.00 पी.एम. तक	(निविदा खोलने की दिनांक 18.08.2025) 04.30 पी.एम.

निविदा प्रपत्र शुल्क 200 रूपये

1. बिड मूहरबंद लिफाफे में, जिसके उपर संबंधित बिड का विवरण तकनीकी बिड **''वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत टोंक न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के कार्यालय उपयोग हेतु नवीन लेजर प्रिन्टर्स क्रयार्थ बिड''** अंकित हो, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक के कार्यालय में दिनांक 18.08.2025 को दोपहर 02.00 पी.एम. तक पहुँच जानी चाहिए।
2. प्राप्त तकनीकी बिड को दिनांक 18.08.2025 को सायं 04.30 से उपस्थित बिडदाताओ या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी। तकनीकी बोली में सफल घोषित बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोलियाँ खोली जावेंगी।
3. बिड शूल्क रू. 200/- डी.डी./नकद रसीद नं. .... दिनांक...................... (जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक के नाम टोंक मुख्यालय पर भुगतान योग्य)
4. **बोली प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत** का डीडी जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक के नाम देय होगा। निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति राशि का डीडी तकनीकि बिड लिफाफा में डाला जावें।
5. तकनीकी बिड को अलग लिफाफे में जिसपर तकनीकी बिड लिख्र हो एवं वित्तीय बिड को अलग लिफाफे में जिसपर वित्तीय बिड लिख्रा हो को रख्र कर मुहरबंद कर दोनो ही लिफाफे को एक बडे लिफाफे में रख्रा जाना है और उस बडे लिफाफे के उपर **''वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत टोंक न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के कार्यालय उपयोग हेतु नवीन लेजर प्रिन्टर्स क्रयार्थ बिड''** अंकित होना चाहियें।
6. बिड द्विभाग बोली के रूप में आमंत्रित की गयी है। बोलीदाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेज की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी-

क्र.सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जावे
1.	1. बोलीदाता फर्म का पूरा नाम एवं पता (पंजीयन प्रमाण पत्रानुसार)	
	2. फोन नंबर **STD Code** सहित	
	3. ई मेल आई डी	
	4.अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पद **(Authorised signatory)** (अधिकृति पत्रसंलग्न करावें)	
	5. मोबाईल नम्बर	
2.	बोली किससे संबंधित है	**जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक**
3.	बोली का सन्दर्भ	निविदा संख्या .... क्रमांक-निविदा/2025/दिनांक ....

बिडदाता के हस्ताक्षर
मय मुहर

4	निविदा प्रपत्र शुल्क जमा का विवरण	रूपये 200/- डी0डी0/नगद डीडी नम्बर/रसीद नं. .... दिनांक ....
5	बोली प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत (5100/-) डीडी ''जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक'' के नाम से संलग्न करें।	डीडी नम्बर .... दिनांक .... राशि ....
6	**PAN No.** (पेन कार्ड) की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें।	
7	फर्म की अन्तिम एवं नवीनतम आयकर रिटर्न की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें।	
8	**GST Registration No.** (रजिस्ट्रेशन पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करे)	
9	अन्तिम एवं नवीनतम **GST** रिटर्न की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें।	
10	फर्म के बैंक खाते का विवरण : 1. बैक का नाम 2. ब्रांच का नाम 3. खाता संख्या 4. **IFSC** कोड	
11	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत वित विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दि. 04.02.13 के अनुसार **Annexure –A,B,C,D** भी बोली एवं अनुबंध का भाग है अतः **Annexure –A,B,C,D** बिडदाता द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न करें	
12	क्या फर्म को कभी केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा काली सूची (**Black Listed**) में दर्ज किया गया है? यदि हॉ तो विवरण देवे और यदि नहीं तो **Annexure –E** में रु.50 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा करें।	
13	बोलीदाता के बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/एकमात्र सोल या उप वितरक/ प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रेता/विपणन एजेन्ट होने के संबंध में घोषणा एस0आर0 11 संलग्न करें **Annexure –F**	
14	प्राईज फाल क्लोज के अन्तर्गत बिडदाता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा संलग्न करें **Annexure – G**	
15	**Annexure –H** मानकों के अनुसार सामग्री आपूर्ति की घोषणा 100/- रुपये के स्टॉम्प पर करें।	
16	संलग्न **Annexure –I** हस्ताक्षरित ।	

बोली दस्तावेजों में परिवर्तन :–बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणाम स्वरूप धारा 23 के उपबन्धों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

मै/हम **जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक** द्वारा जारी की गई निविदा संख्या ...... /2025 क्रमांक- निविदा/2025/.............. दिनांक .... में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए है) में दी गई समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिए हमारी निविदा/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम :

पूर्ण पता

टेलीफोन नं. :
मोबाईल नं. :
ईमेल :

मय मुहर

बिडदाता के हस्ताक्षर

ब्लेक लिस्ट/अयोग्य न होने का प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारी फर्म को केन्द्र या राज्य सरकार के किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) सप्लाई हेतु ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम :

पूर्ण पता

टेलीफोन नं. :
मोबाईल नं. :
ईमेल :

Annexure-F

एस. आर. 11

-:निविदादाताओं द्वारा घोषणा:-

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) के लिए निविदा प्रस्तुत की है, उनका/उनके, मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल विक्रेता/विपणन एजेन्ट हूं/हैं। प्रमाण पत्र बिड प्रपत्र के साथ संलग्न है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम :

पूर्ण पता

टेलीफोन नं. :
मोबाईल नं. :
ईमेल :

मय मुहर

बिडदाता के हस्ताक्षर

–:निविदादाताओं द्वारा घोषणा:–

(प्राईज फॉल क्लोज के अन्तर्गत)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) के क्रयार्थ की जा रही दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) देने के लिए उसकी कीमत कोट करते/कम करते है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी । दर संविदा के संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29 की पालना की सहमती प्रदान करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम :

पूर्ण पता

टेलीफोन नं. :
मोबाईल नं. :
ईमेल :

मय मुहर

बिडदाता के हस्ताक्षर

मानकों के अनुसार सामग्री आपूर्ति घोषणा–पत्र

(रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एंव नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित)

मै/हम घोषणा करता हूॅ/करते है कि मेरी/हमारी फर्म द्वारा आपूर्ति की गई इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) यदि मानको के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण नही पाई जाती है तो उनको क्रय समिति, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को लौटाने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा, जिसके लिए मैं सहमति प्रदान करते है/करता हूॅ।

हमारी फर्म द्वारा आपूर्ति की गई उक्त इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) निर्दिष्ट मानकों/गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने पर क्रय समिति द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो उक्त इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) के स्थान पर मानकों/गुणवत्ता पूर्ण नये इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) की आपूर्ति करेंगे/करूंगा।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति राशि को पूर्ण रूप से समपृहत किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकती है।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम :

पूर्ण पता

टेलीफोन नं. :
मोबाईल नं. :
ईमेल :

मय मुहर बिडदाता के हस्ताक्षर

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत टोंक न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के कार्यालय उपयोग हेतु नवीन लेजर प्रिन्टर्स (मय Installation)) क्रयार्थ दर संविदा शर्ते

नोटः- निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा निविदा प्रेषित करने समय इसकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए, इन शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। इस निविदा/अनुबन्ध के क्रम में ली जाने वाली सभी आपूर्ति पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 प्रभावी होंगें।

1. निविदा दाताओं को निविदा सूचना, बिड प्रपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक के नाम से संबोधन करते हुए मुहर बंद लिफाफे में अपनी बिड प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफा तकनीकी निविदा का होगा जिस पर **''वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत टोंक न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के कार्यालय उपयोग हेतु नवीन लेजर प्रिन्टर्स (मय Installation)) के क्रयार्थ बिड''** लिखा होना चाहिए तथा दुसरा लिफाफा वित्तीय निविदा का होगा जिस पर **''वित्तीय बिड वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत टोंक न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के कार्यालय उपयोग हेतु नवीन लेजर प्रिन्टर्स (मय Installation)) के क्रयार्थ बिड''** लिखा होना चाहिए तथा **निविदा दाता का नाम, पूर्ण पता व दूरभाष/मोबाईल नम्बर** लिख कर मूहरबंद कर इन **दोनो लिफाफो को एक बडे लिफाफे में डालकर निविदा प्रस्तुत करनी होगी।**
2. उक्त बडे लिफाफे को मूहरबंद कर उस पर **''वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत टोंक न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के कार्यालय उपयोग हेतु नवीन लेजर प्रिन्टर्स (मय Installation)) के क्रयार्थ बिड''** लिखा जाना है तथा लिफाफे पर बोली लगाने वाले का **नाम, पूर्ण पता व दूरभाष/मोबाईल नम्बर** लिखा होना चाहिए। जो कि **जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को सम्बोधित हो।** बिड प्रपत्र मूहरबंद लिफाफे में कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक में व्यक्तिगत रूप से जमा कराई जा सकती है अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जा सकती है। यदि लिफाफे पर उपर्युक्तानुसार विववरण अंकित नही किया जाता है तो उपापन संस्था इसके परिणामों के बारे में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगी। डाक से प्राप्त होने वाली निविदाएं निर्धारित तिथी एवं समय तक कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए। देरी एवं विलम्ब से प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार्य नही होगी।डाक डिलीवरी में रही किसी खामी के लिए उपापन संस्था कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नही करेगी।
3. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र एवं शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्तो की स्वीकृति एवं सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करने आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. **बोलीदाता द्वारा निम्नानुसार बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें :-**

तकनीकी बोली लिफाफा में निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करने होंगें-

(1) बिड प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित
(2) बिड प्रपत्र का शुल्क (रू. 200/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/नकद जमा की रसीद मूल)
(3) बिड प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत अर्थात 6000.00 रुपये का डीडी ''जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक के नाम देय होगा।
(4) **Annexure -A,B,C,D,E,F,G,H,I** हस्ताक्षरित
(5) **GSTIN** पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति
(6) निविदादाता को अन्तिम या नवीनतम **GST** रिटर्न की स्वयं प्रमाणित प्रति
(7) निविदादाता को पेनकार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि
(8) निविदादाता को अन्तिम या नवीनतम आयकर रिटर्न की स्वयं प्रमाणित प्रति
(9) अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र जो बिड शर्तो के अधीन आवश्यक हो।

वित्तीय बोली लिफाफा में निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करने होंगें-

(1) **Annexure – J** हस्ताक्षरित (वित्तीय बिड प्रपत्र)

5. निविदाएं/बोली निर्मात्री फर्म/ थोक विक्रेता/बोनाफाईड/प्राधिकृत डीलर/सोल एजेंट/विपणन एजेन्ट/सद्व्यवहारी द्वारा ही दी जाएगी। अतः **Annexure-F**; एसआर-11 प्रपत्र) में घोषणा प्रस्तुत करेंगें।**साथ ही प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।**
6. **जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं रिटर्न**:- बोलीदाता/निविदा दाता द्वारा जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि निविदादाता राज्य में प्रचलित जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है तो वह बोली नहीं देगा। निविदादाता को फर्म का नवीनतम/अन्तिम जो उपलब्ध हो **जी0एस0टी0 रिटर्न की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी अनिवार्य होगी परन्तु यह दिनांक 31.03.2026 से पुराना नही होना चाहिए**। इसके बिना बोली रद्द की जाएगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर
मय मूहर

7. **आयकर प्रमाण पत्र एवं पेन नम्बरः**-निविदादाता द्वारा पेन कार्ड की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी साथ ही अन्तिम एवं नवीनतम आयकर रिटर्न की स्वयं प्रमाणित प्रति भी तकनीकी बिड के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
8. **बिड प्रपत्र का मूल्यः**-बिड प्रपत्र जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक कार्यालय में दिनांक 18.08.2025 को 12.00 पीएम तक डी0डी0/नकद रू. 200/- रू. जमा करा कर भी प्राप्त किए जा सकते है। वेबसाईट से डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र के साथ रू. 200/- का बैंक ड्राफ्ट जो जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक के पक्ष में टोंक देय हो, निविदा प्रस्तुत किए जाने की अन्तिम तिथि 18.08.2025 को 2.00 पीएम बजे तक तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
9. **ब्लेक लिस्टेड के संबंध में घोषणाः**-निविदादाता/बोलीदाता फर्म को Annexure -E में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे केन्द्र या राज्य सरकार के किसी भी न्यायालय/राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) की आपूर्ति हेतु ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
10. **निविदादाता द्वारा राजस्थान की लघु उद्योग इकाई के रूप में निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करने अनिवार्य होंगें** :- राजस्थान की लघु उद्योग इकाईयों जो आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर अथवा सक्षम अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र सम्बन्धित जिला के पास रजिस्ट्रीकृत हैं अथवा एमएसएमई यूनिट का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निविदत्त आईटम का स्पष्ट उल्लेख हो। उक्त दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बिड प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि व बोली प्रपत्र में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा, और निर्धारित बिड प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. **निविदा प्रपत्र का भरा जानाः**-निविदा प्रारूप पेन से भरे जाएंगे। पेंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नही किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में, निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
12. **दरों का अंकनः**-दरों को अंको में पेन से साफ-साफ लिखा जाएगा। गलतियां तथा/अथवा उपरी लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई संशोधन हों तो उन्हें स्पष्ट रूप से किया जाए और उन पर तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाऐं।
13. **सबलेट करनाः**-निविदादाता किसी अन्य आपूर्तिकर्ता को अपनी निविदा या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग समनुदेशित नहीं करेगा या उपपट्टे (सबलेट) पर नहीं देगा।
14. **सामग्री का प्रदायः- बोली में समस्त कर, अधिभार (यदि कोई हो) पैकिंग, लोडिंग-अनलोडिंग, मजदूरी एवं कार्यादेश के अनुरूप सम्बन्धित केन्द्र यथा पैरा नं. 17 में वर्णित सम्बन्धित न्यायालयों के स्टोर कक्ष में सुरक्षित सुपुर्दगी (FOR Destination) तक का समस्त प्रकार का व्यय सम्मिलित होना चाहिए**। पूर्ववर्ती मामले में क्रय आदेश के साथ विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। स्थानीय प्रदायों के मामलें में दरें में समस्त कर आदि शामिल होंगे तथा सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा/कार्टेज या परिवहन प्रभारों का भुगतान नही किया जाएगा। वित्तीय बिड प्रस्तुत करते समय निविदादाता को जी0एस0टी0 एवं अन्य समस्त प्रभारों का आंकलन कर इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) की कीमत कोट की जानी होगी।
15. **मूल्य अधिमान** :-मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जाएगी।
16. **वित्तीय दरें एवं सामग्री की प्रदायगीः-**

(अ)वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 65 एवं 66 के प्रावधान के अनुसार होगा।

(ब)वित्तीय बोली प्रपत्र में दरें सभी प्रकार के खर्चो (जैसे जी0एस0टी0, भाडा, पैकिंग, मजदूरी, चुंगी एवं अन्य कर सहित) उल्लेखित की जाएगी। माल पहूँचाने का और उतरवाने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा। दरों में जीएसटी की राशि सम्मिलित की जावे। सभी प्रकार के जीएसटी(CGST/RGST/IGST) का भुगतान बिल पर अलग से नहीं किया जाएगा उसे कोट की गई दर में ही सम्मिलित माना जाएगा।

(स)बोलीदाता आवश्यक रूप से मूल दर(समस्त खर्चो सहित) का कॉलम में अंकन करेगा। यदि बोलीदाता वित्तीय बिड में किसी प्रकार के जीएसटी का मूल दर के निर्धारित कॉलम में मूल दर में जोड कर अंकन नही करता है तो दर सहित मानी जावेगी। ऐसी परिस्थिति में जीएसटी को अलग से दर्शाने या निविदादाता का किसी प्रकार का स्पष्टीकरण स्वीकार्य नही होगा। वित्तीय बिड में अंकित दर पर सरकार की तत्समय लागू जीएसटी दर से नियमानुसार जीएसटी राशि देय होगी उसे सम्मिलित किया गया है यह मान लिया जाएगा।

(द)निविदा के साथ संलग्न सूची में वर्णित आईटम की एकल दरें ही मान्य होगी एक से अधिक दरें देने पर संबंधित आईटम की दर अस्वीकार्य होगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर
मय मूहर

(य) आईटम की प्राप्त न्यूनतम अथवा लाभकारी दर को स्वीकृत किया जाएगा इसमें उपापन संस्था का निर्णय मान्य होगा। किसी निविदादाता को एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) का कार्यादेश दिया जा सकेगा।

17. **कार्यादेश की मात्रा एवं राशि की सीमा**:- इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) क्रयार्थ के स्पेशिफिकेशन के अनुसार अनुमानित मात्रा का उल्लेख है। यह अनुमानित मात्रा इस न्यायक्षेत्र के निम्न न्यायालयों के सम्मुख अंकित मात्रा अनुसार है। दर अनुमोदन पश्चात क्रय अधिकारी द्वारा सामग्री आपूर्ति के दिये गये आदेशानुसार निविदादाता सम्बन्धित सामग्री की मात्रा निम्नानुसार सम्बन्धित न्यायालय में 15 दिवस के भीतर स्वयं के हर्जे-खर्चे पर पहुंचानी होगी :-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	अनुमानित मात्रा
1.	जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक	04
2.	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक	03
3.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	02
4.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	02
5.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	02
6.	अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	02
7.	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, टोंक	02
	योग :-	17

यदि क्रय अधिकारी निविदत्त इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) में से किसी वस्तु का क्रय नहीं करता या निविदा प्ररूप में वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता मुआवजे हेतु किसी दावें का हकदार नहीं होगा। दरें बोली खोले जाने की दिनांक से 31.03.2026 तक के लिए लागू रहेंगी। निविदादाता को चाहे कार्य आदेश अलग-अलग समयावधी में दिये जाएं उसके द्वारा बिड प्रपत्र में भरी गई दरें ही दिनांक 31.03.2026 तक मान्य रहेगी एवं उन्ही दरों पर भुगतान स्वीकृत किया जाएगा।

संविदा में इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) के क्रयार्थ अनुमानित लागत का उल्लेख किया गया है। निविदादाता को उक्त लागत तक कार्य आदेश स्वीकृत किया जाना अनिवार्य नहीं होगा और विभाग द्वारा स्वीकृत बजट प्रावधान अधिक प्राप्त होने पर अनुमानित लागत से अधिक परन्तु स्वीकृत बजट प्रावधान के अन्तर्गत एवं बजट सीमा में कार्य आदेश स्वीकृत/अनुमोदित दरों पर दिनांक 31.03.2026 तक दिये जा सकेगें। अनुमानित लागत से कम या अधिक के कार्य आदेश देने हेतु उपापन संस्था स्वतंत्र रहेगी।

18. **विधिमान्यता** :- निविदाऐं, निविदा खोले जाने की तारीख से तीन मास की कालावधि हेतु विधि मान्य होगी।

19. **निरीक्षण** :-

(क) क्रय अधिकारी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत समस्त उपयुक्त समयों पर प्रदायक के परिसर में पहुँच सकेगा और उसे समस्त उपयुक्त समयों पर निरीक्षण तथा परीक्षण करने की शक्ति होगी। क्रय समिति सामग्री का नमूना कार्यालय में मंगवाकर निरीक्षण की अपेक्षा कर सकती है। इस पर होने वाला व्यय की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, जिसका समायोजन/पुनर्भरण देय नहीं होगा। इस व्यय का निविदादाता कोई दावा/अधिकार प्रस्तुत करता है तो वह मान्य नहीं होगा।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम और वर्कशॉप के परिसर का पूरा पता प्रस्तुत करेगा जहाँ निरीक्षण किया जा सकता है और साथ ही उस व्यक्ति का नाम और पता भी प्रस्तुत करेगा जिससे इस प्रयोजनार्थ सम्पर्क किया जाना है। उन डीलरों के मामले में जो कारोबार में नवीन रूप से प्रविष्ट हुए है, उनके बैंकर से परिचय पत्र आवश्यक होगा।

20. **अस्वीकृत किया जाना** :-

(अ)निरीक्षण के या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गयी वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाता अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।

(ब)तथापि, यदि सरकारी कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अंशतः साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी, निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

(स) समिति द्वारा अस्वीकृत सामग्री या इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) निविदादाता द्वारा हटा दी जाएंगी, उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु दायी नहीं होगा और उसे अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस रीति से कर दे जिसे वह उपयुक्त समझे।

21. **पैकिंग** :- निविदादाता द्वारा समुचित आकार प्रकार में व्यवस्थित रूप से आदेशानुसार संबंधित गन्तव्य स्थल पर आपूर्ति की जावेगी ।

बिडदाता के हस्ताक्षर

मय मुहर

निविदा दाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्त कर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट-फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी होने के मामले में, माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए निविदादाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

22. **राज्याधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देनाः**-बोली स्वीकृति हेतु अथवा बोली संबंधी किसी कार्य हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार विभाग के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना या उनके पास सिफारिश पहूँचाना, गम्भीर अपराध समझा जावेगा तथा ऐसे बोलीदाता की बोली स्वीकार्य नही की जाएगी। और यदि स्वीकृत हो जाती है तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है। निविदादाता की या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्ष प्रचार निरर्हता होगा।

23. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत करने के कारणों को अभिलिखत करेगा।

24. **परिदान कालावधिः**- जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत हो चुकी है वह सम्बन्धित कार्यालय द्वारा प्रदाय आदेश की तारीख से निर्धारित कालावधि **(30 दिवस)** के भीतर प्रदाय हेतु व्यवस्था करेगा।

25. **बिड प्रतिभूति राशिः**- वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 के के अनुसार नियम 42 के फलस्वरूप 2 प्रतिशत बिड प्रतिभूति राशि डीडी के माध्यम से "जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक" के नाम से देय होगी। उक्त प्रतिभूति राशि (डीडी) के अभाव बिड स्वीकार्य नही होगी।

26. **बिड प्रतिभूति घोषणा का समपहरण** :- बिड प्रतिभूति घोषणा का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया जा सकेगा :-

(I) जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।

(II) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि हो, निष्पादित नहीं करता।

(III) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।

(IV) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में विफल रहता है।

(V) जब कोई बोलीदाता स्वीकृत की गई दरों की सूचना के 7 दिवस में अथवा वृद्धि की गई अवधि में निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नही कराता है एवं समस्त अनुमोदित वस्तु की आर्पूति हेतु निर्धारित अनुबंध पत्र भरकर नहीं देता है, तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस हेतु किसी प्रकार की पूर्व सूचना बोलीदाता को नही दी जावेगी।

(VI) यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 वं नियम 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालो के लिए सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।

(VII) बोली प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

27. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रय समिति से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

28. **करार का निष्पादनः**-

1-उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

2-सफल बोली लगाने वाले को 7 दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है। उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने होगें।

3-यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है 7 दिवस के भीतर संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी। ऐसे मामलों में कार्यालय उपापन प्रक्रिया को रद्द कर सकेगा या उचित समझे तो, बोली दस्तावेज मे उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगा।

4-बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य 500/- रू. के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा तथा उपापन संस्था को मूल करार पत्र उपलब्ध कराना होगा।

5-बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरे वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 31.03.2026 तक निर्णय हेतु वैध होगी एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध करने को बाध्य होगा

बिडदाता के हस्ताक्षर
मय मुहर

अन्यथा बोली शर्त संख्या 26 अनुसार कार्यवाही की जावेगी। अनुबंध हो जाने के पश्चात् स्वीकृत दरों की वैधता शर्त संख्या 17 से नियंत्रित होगी।

निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-

(I) भागीदारी फर्मों के मामलें मे भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपिं। (II) यदि फर्म, फर्मों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष (III) एक मात्र स्वत्वधारित की दशा में निवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन संख्यांक (IV) कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण।

29. **कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः-**

1-सफल निविदादाता को जिन कम्प्यूटर हार्डवेयर सामग्री (मय Installation)) के लिये निविदाएं स्वीकार की गई है उनके निविदा मूल्य का 5 प्रतिशत राशि (2 प्रतिशत प्रतिभूति राशि को समयोजित करते हुये) अनुबंध निष्पादन के समय कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। एमएसएमई/ एसएसआई यूनिट को बिन्दू संख्या 10 की पालना पर ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट देय होगी अन्यथा नहीं।

2-कार्य सम्पादन प्रतिभूति पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

3-कार्य सम्पादन प्रतिभूति हेतु बैंक ड्राफ्ट जो जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक के नाम से देय हो एवं टोंक मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो स्वीकार किया जायेगा।

4-कार्यादेश में दी गई सामग्री की संतोषप्रद रूप से आपूर्ति की जाने पर एवं इससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया नही हैं, प्रतिभूति राशि का नियमानुसार प्रतिदाय किया जाएगा।

5-कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियत्रंण या प्रबंध मे हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी।

30. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः**-प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपृहत किया जा सकेगा :-

1-जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

2-जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

3-प्रतिभूति निक्षेप को समपृहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

4-कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि उस मामले में जहाँ उपापन संस्था नमूनों को परीक्षण हेतु भिजवाती है एवं उसका परिणाम नकारात्मक प्राप्त होने पर यदि निविदादाता तय समय सीमा में सामग्री को स्वयं के खर्चे पर नही बदलता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

5-कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि Annexure-I में उल्लेखित किसी भी शर्त के उल्लघंन पर भी जब्त की जा सकेगी।

31. **भुगतान** :-

1-आपूर्ति पश्चात आपूर्तिकर्ता को भुगतान सामग्री की जांच व सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में प्राप्त होने पर ही किया जायेगा ।

2-जब तक पक्षकारो के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगें।

3-विवादास्पद मदों के संबंध में, नियमानुसार राशि को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

4-उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप होंगें।

5-फर्म के बिलों से भुगतान के समय नियमानुसार करों की कटौती की जाएगी।

6-आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा भुगतान के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें :-

(1)-बिल दो प्रतियों में(2)-पेन कार्ड की छाया प्रति(3)-बैंक पास बुक की छाया प्रति या निरस्त बैंक चैक जिसमें निविदादाता का नाम हो।

32. **संदाय** :- (I) विरल तथा विशिष्ट प्रकरणों के सिवाए अग्रिम संदाय नही किया जाएगा। यदि अग्रिम का संदाय कर दिया जाता है तो वह वित्तीय शक्तियों की विहित सीमा तक, पूर्व निरीक्षण यदि कोई हो, तथा रेल/प्रतिष्ठित माल परिवहन कम्पनियों आदि द्वारा प्रेषण के प्रमाण पत्र के अध्यधीन होगा। अतिशेष, यदि कोई हो, का संदाय, प्रेषण की अच्छी स्थिति में

बिडदाता के हस्ताक्षर

मय मूहर

इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ जो टिप्पणी निविदादाता को दिए गए निरीक्षण टिप्पणी पर पृष्ठांकित किया हैं। प्राप्त होने पर संदत्त किया जाएगा।

(II) जब तक पक्षकरों के बीच अन्यथा सहमति न हो, भण्डारों के परिदान हेतु संदाय निविदादाता द्वारा क्रय अधिकारी को सा.वि.एवं ले. नियम के अनुसरण में समुचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत किए जाने पर किया जाएगा। समस्त प्रेषण व्ययों का वहन निविदादाता द्वारा किया जाएगा।(III) विवादग्रस्त मद के मामलें में 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी और विवाद के निपट जाने पर संदत्त कर दी जाएगी।(IV) उस माल के प्रकरण में संदाय, जिसके परीक्षण की आवश्यकता है उसी समय किए जाएंगे जब परीक्षण कर लिए जाएं, प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देश के अनुरूप पाएं जाएं।

33. **परिसमापित नुकसानी** (LD) :- परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानो के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बिडदाता प्रदाय करने में असफल रहा है (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्ते लागू होगी)

1-विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के लिए विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

2-एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5प्रतिशत

3-आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीनचौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5प्रतिशत

4-विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

5-प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

6-परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

7-यदि प्रदायकर्ता, किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा से घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

8-यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाताओ के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

9-परिनिर्धारित क्षति राशि की कटौती फर्म के लम्बित भुगतान राशि के पेटे जमा राशि में से की जावेगी।

34. **बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपान्तरण** :-बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात, उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकार पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिए।

नोटिसः-1-बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से ''प्रतिस्थापन'' या ''उपान्तरण'' अंकित हो और बोलियो को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पहले बोलियो को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

2-बोलियाँ, जिनका प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जावेगी।

3-किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात नही किया जायेगा।

35. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रय समिति से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

36. **वसूलियाँः**-परिनिर्धारित नुकसानी कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गयी वस्तुओं की वसूली साधारण तौर पर बिल में से कटौती करके की जाएगी। क्रय समिति कम प्रदाय, टूट-फूट/नुकसान या रद्द की गयी वस्तुओं की सीमा तक राशि को तब तक रोके रखेगा जब तक कि वे संतोषजनक रूप से बदली नहीं जाएगी। यदि प्रदायकर्ता ऐसा नही करता है तो राशि की वसूली उसको देय बकायों मे से कर ली जाएगी । यदि कोई कार्य शेष रहे तो उसकी मांग प्रदायकर्ता से की जाएगी तथा जब वसूली संभव न हो, तो उपापन संस्था प्रवृत्त विधि का सहारा लेगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर

मय मुहर

37. **निविदादाता स्वयं की शर्तेः**–यदि निविदादाता ऐसी शर्तों को आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा पर संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमे से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

38. **पुनरादेशः**–सामान/वस्तु की मात्रा व राशि अनुमानित है। अनुबंध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय, अनुमानित मात्रा व कीमत से कम/अधिक हो सकती है जो क्रय राज्य लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उपनियम 73 के अनुसरण में निम्नानुसार होगीः–

(1)यदि उपापन संस्था परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषय वस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ठ परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवास किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(2)अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिए जा सकेंगें। यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधी भी अनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी।

पुनरादेश की सीमाएं– मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत **(दर संविदा में शर्त संख्या 17 की पालना प्रथम की जाएगी)**

39. **प्राईस – शिड्युलः–** में वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत् इनमें कमी अथवा वृद्वि की जा सकती है। जिसके लिए बोली स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा।

क्रय समिति न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही होगी। क्रय समिति बोली को स्वीकार करने/स्वीकार न करने/निरस्त करने या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। क्रय समिति का निर्णय वैधानिक तौर से सर्वोत्तम निर्णय माना जाएगा तथा सभी पक्षकारों के लिए मानने के लिए बाध्यकारी रहेगा। **निविदादाता ने जिस सामग्री हेतु निविदा दी है उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगी।**

40. **विवादः**–यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लघंन के संबंध मे विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को भेजा जायेगा, उसका निर्णय अन्तिम होगा।

41. यदि कोई परिवर्तन होता है तो, परिवर्तन की अलग से विज्ञप्ति जारी नही की जावेगी। परिवर्तन संबंधी सूचना राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड कर दी जावेगी।

42. उक्त बोली शर्तो में किसी भी प्रकार की लिपकीय त्रुटी होने पर विभागीय उपापन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

43. **आपूर्तिकर्ता विवर्जित करना/काली सूची में दर्ज करनाः**– निर्धारित समयावधि में विशेष परिस्थितियों में आपूर्ति की समयवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् भी यदि कोई बोलीदाता द्वारा आदेशित सामग्री की आपूर्ति नही की जाती है, तो दोषी फर्म को नियमानुसार काली सूची में दर्ज करने/आगामी बोलियों में भाग लेने हेतु अधिकतम 3 वर्ष हेतु विवर्जित किया जा सकेगा। इसमें में किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नही होगा।

44. **प्राईज फाल क्लोजः**– संविदा की जाने वाली इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) की सप्लाई वर्षभर हेतु डिमाण्ड अनुसार कार्यआदेश जारी किया जाएगा। स्वीकृत की गई दरें दिनांक 31.03.2025 तक के लिए मान्य होगी। यदि बोली अवधि में बोलीदाता अनुमोदित दरों को कम करता है अथवा उसी प्रकार का माल को कम दर पर अन्य किसी को बेचता है तो उसे अध्यक्ष, क्रय समिति, जिला एवं सेशन न्यायाधीश टोंक को लिखित में सूचित करना होगा ओर इस प्रकार की दरों में कमी एवं कम दरों पर बेचे गये माल की सूचना देनी होगी तथा जिस दिनांक से दरों में कमी की गई है, उसी दिनांक से उपापन संस्था को दिये गये समान की कीमत भी कम दर से लगानी होगी। तकनीकी बिड प्रपत्र में Annexure-G में बिडदाता स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करेगा। बोली अवधि में या उसके बाद भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर बोलीदाता द्वारा प्राईस फाल क्लोज शर्तो की पालना नही की गई है तो फर्म द्वारा उपापन संस्था से प्राप्त अधिक राशि की वसूली हेतु उपापन संस्था आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

45. **वित्तीय दरों को भरनाः**–निविदादाता को दरों के अंकन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि

1. वह जिस इलेक्ट्रोनिक आईटम (लेजरजेट प्रिन्टर (मय Installation)) सप्लाई करेगा/बोली कोट करेगा उसकी ही सप्लाई समयावधि में करनी होगी तथा वह विभाग द्वारा डिमाण्ड होने पर निर्धारित अवधि तक सामग्री की सप्लाई करने में सक्षम हो।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मूहर

2. दरों में समस्त खर्चो यथा जीएसटी, भाड़ा, चूंगी, पैकेजिंग, सप्लाई में लगने वाला समस्त खर्चा आदि शामिल करके ही भरनी चाहिए। क्योंकि उपापन संस्था द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

46. **वास्तविक व्यापारी द्वारा बोली भरी जाना/बिल प्रस्तुतीकरणः–** बोली स्वीकार होने के पश्चात् जिस भी अधिकृति से बोली प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है उसी अधिकृति से बिल आदि भुगतान हेतु उपापन संस्था के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकृति के द्वारा प्रस्तुत बिलों को भुगतान हेतु स्वीकार नही किया जावेगा एवं इस संबंध में उपापन संस्था का किसी प्रकार दायित्वाधीन नही होगी।

47. **अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकारीः–** बोली के नियम व शर्तो तथा बोली प्रपत्रों में दिये गये विवरण आदि के संबंध में उपापन कमेटी द्वारा दिया गया अर्थ एवं निर्णय अन्तिम समझा जावेगा एवं उसे समस्त बोलीदाताओं द्वारा मानना बाध्यकारी होगा।

48. बोलीदाता द्वारा कोई भी मिथ्या जानकारी दी जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही हेतु उपापन संस्था स्वतंत्र होगी।

49. बोलीदाता को बोली दर (वित्तीय बिड) भरने से पूर्व यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस सामग्री के लिए वह दरें देना चाहता है, उस सामग्री को फर्म आपूर्ति करने में सक्षम है।

50. समस्त विधिक कार्यवाहियां का क्षेत्राधिकार टोंक ही रहेगा।

51. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों, 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगें।

मै/हम **जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक** द्वारा जारी की गई निविदा संख्या .... क्रमांकः–निविदा/2025/............ दिनांकः–.................... में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगें एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिए हमारी निविदा/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम :

पूर्ण पता

टेलीफोन नं. :
मोबाईल नं. :
ईमेल :

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम :

पूर्ण पता

टेलीफोन नं. :
मोबाईल नं. :
ईमेल :

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम :

पूर्ण पता

टेलीफोन नं. :
मोबाईल नं. :
ईमेल :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

मय मुहर

बिडदाता के हस्ताक्षर

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम :

पूर्ण पता

टेलीफोन नं. :
मोबाईल नं. :
ईमेल :

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम :

पूर्ण पता

टेलीफोन नं. :
मोबाईल नं. :
ईमेल :

<u>**Annexure-J**</u>

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : निविदा/2025-26/ दिनांक :

वित्तीय बिड 2025-26

निविदा प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत टोंक न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के कार्यालय उपयोग हेतु नवीन लेजर प्रिन्टर्स (मय Installation)) क्रयार्थ दर संविदा

क्र. सं.	आईटम का नाम	आईटम का विवरण (Specification)	कंपनी/ मॉडल का नाम	अनुमानित मात्रा	दर प्रति नग (सभी करो सहित)
1-	लेजर प्रिन्टर्स	(ii) Laserjet Printer (Monochrome) (Black) :- **(Preferably: HP/Canon and any other reputed brand)** Specification Required : : Min Input Sheet Capacity : 150 : Min Print Speed (Black) : 30 ppm : Sheet Size : A4; A5; A6; B5 (JIS), Envelopes; 10 x 15 cm, FS (Legal) : Dual-sided printing (Duplex) : Automatic : Hardware Interface : Ethernet, USB 2.0 : Open Paper Tray will be preferred : Connectivity Type : Wifi : Print quality black (best) : Up to 600 x 600 dpi : Compatible network operating systems : Windows 11; Windows Server; Linux, ubuntu : Memory Size : 64 MB Minimum 1 Year Warranty (On Site)		17	

<u>नोट :- उपरोक्त आईटम की दर प्रस्तुत करते समय सामग्री की फोटोग्राफ भी लगाए।</u>

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम :

पूर्ण पता

टेलीफोन नं. :
मोबाईल नं. :
ईमेल :